न्यायालय उपखण्ड अधिकारी निवाई जिला टोंक

(जे.पी. बैरवा आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी निवाई द्वारा अध्यासित)
दावा संख्या :–155/2017
निर्णय दिनांक:– 03.09.2019

उनवान

कमला पुत्री भूरया जाति माली निवासी कल्याणी कॉलोनी कस्बा निवाई तह. निवाई जिला टोंक राज.

–वादी

बनाम

1. सीताराम पुत्र भूरा जाति माली निवासी बालाजी के बावडी के पास कस्बा निवाई तह. निवाई जिला टोंक
2. पप्पू पुत्र भूरा जाति माली निवासी बालाजी के बावडी के पास कस्बा निवाई तह. निवाई जिला टोंक
3. पुष्पा पुत्री सीताराम जाति माली निवासी बालाजी के बावडी के पास कस्बा निवाई तह. निवाई जिला टोंक
4. सीता पत्नि पप्पू जाति माली निवासी बालाजी के बावडी के पास कस्बा निवाई तह. निवाई जिला टोंक
5. शंकर पुत्र पप्पू जाति माली निवासी बालाजी के बावडी के पास कस्बा निवाई तह. निवाई जिला टोंक
6. राजू पुत्र सीताराम जाति माली निवासी बालाजी के बावडी के पास कस्बा निवाई तह. निवाई जिला टोंक
7. दीपू पुत्र सीताराम जाति माली निवासी बालाजी के बावडी के पास कस्बा निवाई तह. निवाई जिला टोंक
8. राजेश पुत्र गोपाल जाति माली निवासी बालाजी के बावडी के पास कस्बा निवाई तह. निवाई जिला टोंक
9. सीमा पत्नि गोपाल जाति माली निवासी बालाजी के बावडी के पास कस्बा निवाई तह. निवाई जिला टोंक
10. नरेन्द्र सिंह पुत्र शम्भू सिंह राजपूत निवासी खण्डवा तहसील निवाई जिला टोंक
11. छीतर पुत्र कल्याण जाति माली निवासी बालाजी के बावडी के पास कस्बा निवाई तह. निवाई जिला टोंक
12. सुगना पुत्री कल्याण जाति माली निवासी बालाजी के बावडी के पास कस्बा निवाई तह. निवाई जिला टोंक
13. मांगीलाल पुत्र ग्यारसा जाति माली निवासी बालाजी के बावडी के पास कस्बा निवाई तह. निवाई जिला टोंक
14. तहसीलदार निवाई

–प्रतिवादीगण

दावा बाबत तकासमा व स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थितः– श्री रामबाबू शर्मा वकील वादी
श्री सतीश कुमार शर्मा वकील प्रतिवादी सं. 1ता7

निर्णय

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद के तथ्य संक्षिप्त मे निम्न प्रकार है:–

यह कि वादीया व प्रतिवादीगण की संयुक्त कृषि आराजीयात आराजी खाता संख्या 1560 ख.नं. 3868 रकबा 02–05 बीघा, ख.नं. 3869 रकबा 03–15 बीघा व ख.नं. 4357/2 रकबा 1–10 बीघा कुल किता 03 कुल रकबा 07–10 बीघा वाके ग्राम कस्बा–निवाई तहसील निवाई में स्थित है। जिसमें वादीया का 1/6 व प्रतिवादी सं. 1 का 1/6 हक व हिस्सा है। बाकी खातेदारान का हिस्सा जमाबन्दी अनुसार है। वादीया व प्रतिवादी सं. 1 ने उक्त कृषि आराजीयात संयुक्त रूप से 1/3 हिस्से को रजि. विक्रय विलेख से खरीद किया हुआ है। परन्तु वादीया व प्रतिवादीगण के उक्त कृषि भूमि का विधिक रूप से मौके पर बंटवारा नहीं हो रखा, इस कारण प्रतिवादी सं. 1ता7 जबरन वादीया की कृषि भूमि पर कब्जा कर हडप करना चाहते है और वादीया को हक व हिस्से से वंचित करना चाहते है, उक्त कृषि भूमि का मौके पर तो तकासमा हो रखा है और मौके पर काश्त कर रहे है परन्तु प्रतिवादीगण जबरन मेड इत्यादि को तोडकर आये दिन विवाद उत्पन्न करते है। इस कारण रोजाना उत्पन्न होने वाले विवाद को समाप्त करने के लिये उक्त कृषि भूमि का मौके पर बंटवारा कर राजस्व रिकॉर्ड में पृथक से इन्द्राज किया जावे। प्रतिवादी सं. 1 ने वादीया को गुमराह धोखे में रखकर आराजी ख.नं. 4357/2 रकबा 01–10 बीघा हिस्सा 1/6 का हकत्याग 30.09.2012 को करा लिया जिसकी जानकारी होने पर वादीया ने

उपखण्ड अधिकारी
निवाई

Scanned by CamScanner

प्रतिवादी सं. 1 के विरूद्ध एक एफ.आई.आर. 414/17 पुलिस थाना निवाई में धारा 420, 467, 468, 120(बी) आईपीसी का पेश किया व हकत्याग निरस्ती का वाद भी पेश कर रखा है। उक्त कृषि भूमि पर भी आज भी वादीया का हक व हिस्सा है। जिस पर वह निर्बाध रूप से काश्त करती आ रही है। अतः वाद–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादीया का वाद तकासमा का डिक्री किया जाकर वादीया की कृषि आराजीयात ख.नं. 3867 रकबा 02–05 बीघा, ख.नं. 3869 रकबा 03–15 बीघा, ख.नं. 4357/2 रकबा 01–10 बीघा कुल किता 03 कुल रकबा 07–10 बीघा वाके कस्बा निवाई तहसील निवाई वादीया का 1/6 हक व हिस्सा है के मुताबिक उक्त राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार तकासमा किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में पृथक से इन्द्राज किया जावे। प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे।

दावा पेश होने पर वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया।

प्रतिवादी सं. 1ता7 की ओर से श्री सतीश कुमार शर्मा एड. ने वकालतनामा व प्रतिवादी सं. 10 की ओर से अण्डरटेकिंग पेश की। प्रतिवादी सं. 8, 9, 11ता13 बाद तामिल अनुपस्थित रहने के कारण उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की जाती है। प्रतिवादी सं. 1ता7 की ओर जवाब–दावा पेश किया गया कि मात्र वादी का 1/6 हिस्सा रिकॉर्ड में होना स्वीकार है। बाकी मौके पर किसी प्रकार का वादी का कब्जा नहीं है। प्रार्थीया द्वारा गलत तथ्यों के आधार पर वाद–पत्र पेश किया है। ख.नं. 4357/2 में वादीया का कोई हिस्सा नहीं है। वादीया ने प्रतिवादी के पक्ष में हकत्याग रखा है। वादीया का उक्त भूमि में कोई हिस्सा नहीं है। वादीया ने स्वयं की भूमि का इकरारनामे से बेचान कर दिया। वादीया ने स्वयं की भूमि का इकरारनामे से बेचान कर दिया। वादीया का विवाह टोंक में हुआ था प्रार्थीया का वहां भी जमीन में हिस्सा है। जहां वादीया रहती व निवास करती है वादीया का उक्त भूमि पर कोई कब्जा नहीं है क्योंकि वादीया ने स्वयं ने उक्त भूमि पर जिसका बंटवारे का दावा मान्य न्यायालय के समक्ष जेरकार है। उक्त भूमि पर वादीया एवं प्रतिवादी ने उक्त भूमि पर जरिये इकरारनामा आवासीय कॉलोनी काट दी गई है तथा मौके पर आबादी बसी हुई है ऐसी स्थिति में विभाजन किया जाना विधिसंगत नहीं है। वादीया द्वारा प्रतिवादी सं. 1 के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया गया था जिसमें अनुसंधान अधिकारी द्वारा उक्त प्रकरण में झूठा मानते हुये एफ.आर. लगा दी। वादवर्णित भूमि नगरपालिका निवाई की आबादी भूमि के मध्य है तथा वादीया एवं प्रतिवादीगण ने मिलकर भूमि पर आवासीय कॉलोनी काट रखी है जो शिव वाटिका के नाम से है तथा वादीया एवं प्रतिवादी सं. 1ता7 मिलकर उक्त भूमि बाबत समर्पणनामा सहायक कलेक्टर टोंक व निवाई नगरपालिका के नाम राज. भू–राजस्व अधिनियम की धारा ख व धारा 3 के अन्तर्गत भूमि खातेदार के अधिकार समर्पित किये गये है। वादीया अपनी स्वयं की भूमि मानती है जबकि उक्त भूमि वादीया के पिता ने अपने दादा की पैत्रक सम्पत्ति से क्रय करने की वजह से वादीया की नियत में बेईमानी आ गई इस कारण वाद पेश किया है जो खारिज किये जाने योग्य है। अतः जवाब–दावा पेश का निवेदन है कि वादीया का वाद खारिज फरमाया जावे। उभयपक्षों के निवेदन पर तहसीलदार निवाई से तलब करने के आदेश पारित हुये। तत्पश्चात् तकासमा के वाद में मौका रिपोर्ट मंगवाया जाना आवश्यक नहीं समझे जाने पर मौका रिपोर्ट तलब नहीं की गयी। प्रतिवादी सं. 10 व उसके अण्डरटेकिंगशुदा अधिवक्ता को आवाज लगायी। असालतन–वकालतन गैर हाजिर रहने के कारण प्रतिवादी सं. 10 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी।

वाद को पी.डी. किये जाने हेतु उभयपक्षों की बहस सुनी गयी। वकील वादी ने प्रा.पत्र ख.नं. 4357/2 के संबंध में अनुतोष नहीं चाहने पेश किया। अतः ख.नं. 4357/2 के अतिरिक्त शेष बचे ख.नं. के संबंध में ही संशोधित वादपत्र माना जाकर तहसीलदार निवाई से पी.डी. रिपोर्ट तलब की गयी। पी.डी. रिपोर्ट प्राप्त होकर शामिल पत्रावली की गयी। वकील प्रतिवादी ने पी.डी. रिपोर्ट पर आपत्तियां मय दस्तावेजात पेश की। आपत्तियों में वकील प्रतिवादी ने निवेदन किया है कि पी.डी. आदेश दि. 01.7.19 को मान्य न्यायालय द्वारा जो आदेश दिया गया था उसी में किस प्रकार रिपोर्ट मंगवाई जानी चाहिये थी अंकित नहीं किया। क्योंकि न तो उक्त ऑर्डर दि. 01.7.19 में यह लिखा गया है कि कब्जे व मौके अनुसार या रिकॉर्ड अनुसार या मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर रिपोर्ट मंगवाई जावे। प्रस्तुत प्रकरण में वादीया ने अपने वाद में चरण सं. 2 में यह अंकन किया था कि उक्त कृषि भूमि पर मौके पर तकासमा हो रखा है तथा मौके पर काश्त कर रखी है। परन्तु तहसीलदार जी द्वारा प्रस्तुत कुर्रेजात रिपोर्ट में स्पष्ट अंकन है कि लगभग 20 प्रतिशत भूमि पर खातेदारों के मकान बने हुये है तथा यह भी अंकन किया है कि कमला पुत्री भूरिया माली(वादीया) का कोई कब्जा नहीं है। मुताबिक रिपोर्ट पटवारी हल्का वादीया का कोई कब्जा नहीं होना साबित है। सभी खातेदारों के उक्त भूमि पर रिहायशी पुराने मकानात बने हुये है। पुनः मौके की वास्तविक तथाकथित रिपोर्ट बनाई जाकर व सभी खातेदारों का कब्जा दर्शाते हुये उक्त रिपोर्ट पुनः मंगवाई जावे। अतः निवेदन है कि प्रतिवादी की आपत्ति स्वीकार फरमायी

उपखण्ड अधिकारी
निवाई

Scanned by CamScanner

जाकर पी.डी. रिपोर्ट पुनः मंगवाई जावे। जावे। वकील वादी ने जवाब आपत्ति पेश कर निवेदन किया कि प्रारम्भिक रिपोर्ट में वादीया को उक्त कृषि भूमि में सहखातेदार होने के कारण मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर ही वादीया का कब्जा है। वादीया के हिस्से में मकान बना हुआ नहीं है। उक्त वर्णित सम्पूर्ण भूमि पर मात्र एक मकान बना हुआ है। अतः जवाब आपत्ति पेश कर निवेदन है कि आपत्तिकर्ता द्वारा प्रस्तुत आपत्ति सारहीन कपोल कल्पित होने से खारिज किये जाने योग्य है व अन्तिम डिकी पारित किया जाना न्यायोचित है।

आपत्ति पर उभयपक्षों की बहस सुनी गयी। वकील प्रतिवादी ने बहस में निवेदन किया कि पी.डी. आदेश दि. 01.7.19 को मान्य न्यायालय द्वारा जो आदेश दिया गया था उसी में किस प्रकार रिपोर्ट मंगवाई जानी चाहिये थी अंकित नहीं किया। क्योंकि न तो उक्त ऑर्डर दि. 01.7.19 में यह लिखा गया है कि कब्जे व मौके अनुसार या रिकॉर्ड अनुसार या मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर रिपोर्ट मंगवाई जावे। प्रस्तुत प्रकरण में वादीया ने अपने वाद में चरण सं. 2 में यह अंकन किया था कि उक्त कृषि भूमि पर मौके पर तकासमा हो रखा है तथा मौके पर काश्त रर रखी है। परन्तु तहसीलदार जी द्वारा प्रस्तुत कुर्जात रिपोर्ट में स्पष्ट अंकन है कि लगभग 20 प्रतिशत भूमि पर खातेदारों के मकान बने हुये है तथा यह भी अंकन किया है कि कमला पुत्री भूरिया माली(वादीया) का कोई कंब्जा नहीं है। मुताबिक रिपोर्ट पटवारी हल्का वादीया का कोई कब्जा नहीं होना साबित है। सभी खातेदारों के उक्त भूमि पर रिहायशी पुराने मकानात बने हुये है। मौके पर मकानात बने होने के कारण भूमि का प्रकृति बदल चुकी है। उक्त भूमि वर्तमान में कृषि हेतु उपयोग उपभोग में नहीं ली जाकर कॉलोनी काटकर मकान बने हुये है। अतः निवेदन है कि प्रतिवादी की आपत्ति स्वीकार फरमायी जाकर वादी का खारिज किया जावे। वकील वादी ने बहस में निवेदन किया कि प्रारम्भिक रिपोर्ट में वादीया को उक्त कृषि भूमि में सहखातेदार होने के कारण मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर ही वादीया का कब्जा है। वादीया के हिस्से में मकान बना हुआ नहीं है। उक्त वर्णित सम्पूर्ण भूमि पर मात्र एक मकान बना हुआ है। अतः निवेदन है कि आपत्तिकर्ता द्वारा प्रस्तुत आपत्ति खारिज की जावे तथा वादीया का वाद अन्तिम डिकी पारित किया जावे।

उभयपक्षों की बहस का मनन व सम्पूर्ण पत्रावली का अवलोकन कर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि वादवर्णित भूमि ख.नं. 3867 रकबा 02–05 बीघा, ख.नं. 3869 रकबा 03–15 बीघा वाके कस्बा निवाई तहसील निवाई नगरपालिका निवाई की आबादी के मध्य में स्थित भूमि है। तहसीलदार निवाई की रिपोर्ट से स्पष्ट है उक्त भूमि पर मकानात बने हुये है इस प्रकार भूमि की प्रकृति व उपयोग वर्तमान में बदल चुका है अर्थात् वर्तमान में उक्त भूमि कृषि कार्य हेतु उपयोग उपभोग में नहीं आकर मौके पर मकान बनाकर खातेदारों के अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों के मकानात भी बने हुये है। रिपोर्ट तहसीलदार निवाई व पटवारी हल्का कस्बा निवाई से स्पष्ट है कि वर्तमान में वादीया का वर्णित भूमि पर कब्जा नहीं है। अतः उक्त भूमि वर्तमान में कृषि भूमि नहीं रह जाने के कारण बंटवारा किया जाना संभव नहीं है। अतः वकील प्रतिवादी की आपत्ति स्वीकार की जाती है तथा वादीया का वाद इसी स्तर पर खारिज किया जाता है।

यह निर्णय आज दिनांक 03.09.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

जे.पी.बैरवा
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी निवाई

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी निवाई जिला टोंक

(जे.पी. बैरवा आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी निवाई द्वारा अध्यासित)

(डिकी मुकदमा इब्तदाई)

उनवान

कमला पुत्री भूरया जाति माली निवासी कल्याणी कॉलोनी कस्बा निवाई तह. निवाई जिला टोंक राज.

–वादी

बनाम

1. सीताराम पुत्र भूरा जाति माली निवासी बालाजी के बावडी के पास कस्बा निवाई तह. निवाई जिला टोंक
2. पप्पू पुत्र भूरा जाति माली निवासी बालाजी के बावडी के पास कस्बा निवाई तह. निवाई जिला टोंक
3. पुष्पा पुत्री सीताराम जाति माली निवासी बालाजी के बावडी के पास कस्बा निवाई तह. निवाई जिला टोंक
4. सीता पत्नि पप्पू जाति माली निवासी बालाजी के बावडी के पास कस्बा निवाई तह. निवाई जिला टोंक
5. शंकर पुत्र पप्पू जाति माली निवासी बालाजी के बावडी के पास कस्बा निवाई तह. निवाई जिला टोंक
6. राजू पुत्र सीताराम जाति माली निवासी बालाजी के बावडी के पास कस्बा निवाई तह. निवाई जिला टोंक
7. दीपू पुत्र सीताराम जाति माली निवासी बालाजी के बावडी के पास कस्बा निवाई तह. निवाई जिला टोंक
8. राजेश पुत्र गोपाल जाति माली निवासी बालाजी के बावडी के पास कस्बा निवाई तह. निवाई जिला टोंक
9. सीमा पत्नि गोपाल जाति माली निवासी बालाजी के बावडी के पास कस्बा निवाई तह. निवाई जिला टोंक
10. नरेन्द्र सिंह पुत्र शम्भू सिंह राजपूत निवासी खण्डवा तहसील निवाई जिला टोंक
11. छीतर पुत्र कल्याण जाति माली निवासी बालाजी के बावडी के पास कस्बा निवाई तह. निवाई जिला टोंक
12. सुगना पुत्री कल्याण जाति माली निवासी बालाजी के बावडी के पास कस्बा निवाई तह. निवाई जिला टोंक
13. मांगीलाल पुत्र ग्यारसा जाति माली निवासी बालाजी के बावडी के पास कस्बा निवाई तह. निवाई जिला टोंक
14. तहसीलदार निवाई

–प्रतिवादीगण

दावा बाबत तकासमा व स्थायी निषेधाज्ञा

मुकदमा संख्याः– **155/2017**

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्री जे.पी.बैरवा आर0ए0एस0 ब हाजरी श्री रामबाबू शर्मा वकील वादीया श्री सतीश कुमार शर्मा वकील प्रतिवादीगण 1ता7 मिनजानिब मुद्दई पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि : वकील प्रतिवादी की आपत्ति स्वीकार की जाती है तथा वादीया का वाद इसी स्तर पर खारिज किया जाता है।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 03 माह 09 सन् 2019 को जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी
निवाई(टोंक)

Scanned by CamScanner